न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2021/00046 जिला–नागौर

श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री पूनमचन्द जाति माली निवासी लक्ष्मी नगर, नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर जिला नागौर।

————प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध निर्णय अपर कलक्टर, नागौर दिनांक 27–01–2021 अन्तर्गत अपील संख्या 154/2018 बउनवान रामेश्वर लाल बनाम सरकार

————

उपस्थित– 1. श्रीमती सविता चौहान अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 17–01–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार, नागौर के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1856 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 29/2018 दर्ज किया कि ग्राम ताऊसर के खसरा नम्बर 651 रकबा 1500 वर्गफुट किस्म गै0मु0 गौचर पर वर्ष 2018 सम्वत् 2075 में नींव खोदकर अतिक्रमण कर लिया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दिनांक 14–5–2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प ताऊसर में एकपक्षीय रूप से कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 14–5–2018 पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अपर कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–1–2021 द्वारा खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि न्यायालय तहसीलदार नागौर के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने पश्चात जारी किये गये नोटिस अपीलार्थी को कभी प्राप्त नहीं हुए और अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करतेहुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–5–2018 पारित किया जिसमें अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जिसकी अपील अपर कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने भी अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–1–2021 से खारिज कर दी जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार नागौर के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 651 गै0मु0 गौचर भूमि दर्शते हुए अपीलाधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अपीलार्थी के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर कथन किया था कि अपीलार्थी एक विकलांग व्यक्ति है और अपीलाधीन आराजियात पर ग्राम पंचायत ताऊसर द्वारा पट्टा जारी किया गया है जिस पर अपीलार्थी निवास कर रहा है। उक्त पट्टा रजिस्टर्ड है जो कि उपपंजीयक कार्यालय में दिनांक 9–12–2009 को रजिस्टर्ड करवाया गया था। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के द्वारा आवासीय पट्टा जारी होने के पश्चात भूमि की किस्म आबादी हो गई परन्तु राजस्व अभिलेख में इसका इन्द्राज नहीं किया गया जो राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि थी। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–1–2021 एवं तहसीलदार नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–5–2018 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एकपक्षीय है तो पट्टे को चुनौती देनी चाहिए। अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया। गौचर से आबादी भूमि किस्म परिवर्तन हुई है उस संबंध में कोई दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। राजस्व भूमि पर पट्टा जारी किये जाने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। विवादित आराजी गैर मुमकिन गौचर राजकीय भूमि है। विवादित गै0मु0 गौचर भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमी माना जाकर तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 के तहत बेदखली का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में विवादित आराजी ग्राम ताऊसर के खसरा नम्बर 651 गै0मु0गोचर पर अपीलार्थी का अतिक्रमण किया जाना राजस्व रेकार्ड से सिद्ध है। तहसीलदार, नागौर द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक

27–01–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का ताऊसर की रिपोर्ट दिनांक 11–5–2018 के अनुसार ग्राम ताऊसर के खसरा नम्बर 651 रकबा 1500 वर्गफीट किस्म गै0मु0 गौचर पर श्री रामेश्वर लाल पुत्र पूनमचन्द निवासी लक्ष्मी नगर नागौर द्वारा कब्जा, नींव खुदाई कर नाजायज कब्जा कर लिया है। उक्त आधार पर तहसीलदार, नागौर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के तहत बेदखली का नोटिस जारी कर बेदखली के आदेश भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का ताऊसर को दिये है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सरपंच ग्राम पंचायत ताऊसर द्वारा अपीलार्थी के नाम दिनांक दिनांक 15–6–1991 को विवादित भूमि बाबत पट्टा जारी किया गया है उक्त पट्टे में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम ताऊसर के किस खसरा नम्बर से पट्टा जारी किया गया है तथा भूमि की किस्म का भी अंकन नहीं है। साथ ही राजस्व भूमि पर ग्राम पंचायत को आबादी भूमि का पट्टा दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है और न ही किस्म परिवर्तन करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 11–5–2018 में विवादित आराजी ग्राम ताऊसर के खसरा नम्बर 651 गै0मु0गोचर पर अपीलार्थी का अतिक्रमण किया जाना राजस्व रेकार्ड से सिद्ध होता है। साथ ही अपीलार्थी को तहसीलदार, नागौर द्वारा विधिवत नोटिस जारी किया जाना पत्रावली से भलीभांति सिद्ध है तो अपीलार्थी का कहना गलत है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायायलय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–5–2018 एवं अपर कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–5–2018 एवं अपर कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2021 अन्तर्गत अपील संख्या 154/2018 बउनवान रामेश्वरलाल बनाम सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर